RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 2, Year : 4
Jul.-Aug.-Sep. (2017), Pages : 83 - 87
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

कमजोर वर्ग के छात्रावास में छात्रों के विकास सम्बन्धी भौतिक, शैक्षिक व सामाजिक सुविधाओं का अध्ययन

प्रवीन कुमार वर्मा
पी.–एच.डी., शिक्षाशास्त्र विभाग
एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

Received : 19/05/2017 *1st BPR* : 01/06/2017 *Revised* : 12/06/2017 *2nd BPR* : 15/06/2017 *Accepted* : 22/06/2017

ABSTRACT

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की सहायता से खोले गये छात्रावासों में प्रवेश हेतु निर्धारित मानक क्या है? वहां पर भौतिक सुविधाएं, आर्थिक सहायता, शैक्षिक विकास संबंधी संसाधन एवं सामाजिक परिवेश कैसे और कितने है जिस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे है, आदि का अध्ययन करना शोध का उद्देश्य है। अध्ययन हेतु अल्मोड़ा जनपद में स्थित, अनुसूचित वर्ग के डॉ0 भीम राव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास को शामिल किया गया है। न्यादर्श के रूप में छात्रावास में रहने वाले 48 छात्रों में से यादृच्छिक रूप से 33 छात्रों का चयन कर, उनसे शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं मौखिक साक्षात्कार करके संबंधित आंकड़ें प्राप्त किए गये, प्राप्त आंकड़ों की क्रमबद्ध कर प्रतिशत्ता के आधार पर आंकड़ों को विश्लेषित किया गया है, छात्रावास में निश्चित एवं कम स्थान होने के कारण प्रवेश के समय काफी भीड़ रहती है, अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 कार्ड धारक केवल अनुसूचित वर्ग के छात्रों को ही यहां प्रवेश दिया जाता है, बिजली, शौचालय, मनोरंजन संबंधी संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन कुछ भौतिक संसाधन खाना, पानी, जिम, खेल, परिवहन यहां उचित रूप में नहीं पाए गये। शैक्षिक विकास संबंधी सुविधाओं की बहुत कमी है, किसी प्रकार की प्रवेशोपरान्त, शैक्षिक उपलब्धि की जांच नहीं होती है। छात्रावास में मुफ्त भोजन, बिजली एवं आवास सुविधाएं अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद दे रहे है किन्तु छात्र परिवहन शुल्क है लेकिन यहां के छात्र अन्य जाति–धर्मों के लोगों को कभी अपेन साथ यहां नहीं रखना चाहते है जबकि उन्होंने स्वयं यह कहा कि जाति विशेष का छात्रावास, सामाजिकता की वृद्धि में बाधक है।

प्रस्तावना

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के सभी क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों एवं विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरान्त, संविधान का निर्माण किया था, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया, कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों कें प्रति स्वतंत्र एवं सजग हों। किसी भी जाति–वर्ग, धर्म, संस्कृति को किसी अन्य से हीन न माना जाए। स्वतंत्रता के समय बहुत से जाति वर्ग के लोग अन्य जाति वर्गों के लोगों से अपेक्षाकृत–आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से काफी पिछड़े हुए थे, उनके उत्थान हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को संविधान में वर्णित विभिन्न अनुच्छेदों द्वारा विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया है एवं कमजोर वर्ग के क्षेत्रों के विकास के लिए अत्यन्त लचीला प्रशासन प्रदान किया गया है। वैधानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समय–समय पर संशोधित एवं सवंर्द्धित किया गया है।

ड्रियूनोवस्की के शब्दों में :–

''विकास सामाजिक–आर्थिक वास्वविकता के गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक वृद्धि की प्रक्रिया है।''

भारतीय संविधान के प्रारम्भिक स्वरूप में कहा गया था कि यदि 10 वर्षों तक कमजोर वर्ग के लोगों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण दिया जाए, तो वे जल्द ही अन्य वर्गों के समकक्ष हो सकेगें। कमजोर वर्ग के शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने समय–समय पर सुझाव दिए और भारत सरकार ने अपने राज्यों की सरकारों की सहायता से इन सुझावों को योजनाओं का रूप देकर क्रियान्वित भी किया। 1960 में श्री यू0एन0 ढेबर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक विकास हेतु आवासीय व्यवस्थाओं की बात कहीं थी।

1986 की शिक्षा नीति में, जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की संख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि करने के साथ ही, विद्यालय भवनों, बालवाड़ियों, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों एवं छात्रावासों हेतु स्थान चयनित करते समय अनुसूचित जाति

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 83-87 , ISSN 2348 – 3318

के व्यक्तियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही गयी। 10 वर्षों के लिये चलायी गयीं योजनायें आज भी धन, समय, एवं मेहनत के सापेक्ष सफल नहीं हो पायीं हैं आखिर उनकी असफलता के क्या कारण रहें और उनका उपचार क्या है यह जानना अति आवश्यक है।

शोधार्थी ने उक्त शोध पत्र के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से, अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु चलायी गयी, छात्रावास योजना में सुविधाओं की उपलब्धता सम्बन्धी, अध्ययन करने का प्रयास किया है। यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के शैक्षिक विकास की रीढ़ मानी जाती है, यह पता लगाना आवश्यक है कि छात्रावासों का निर्माण, जिन उद्देश्यों के आधार पर किया गया था, क्या छात्रावास उन उद्देश्यों की पूर्ति भली–भांति कर रहे है। यदि नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण है? और उनका क्या सम्भव समाधान हो सकता है?

अध्ययन के उद्देश्य

- कमजोर वर्ग के छात्रावास में छात्रों के प्रवेश सम्बंधी मानकों का अध्ययन करना।
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के सन्दर्भ में अध्ययन करना।
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में आर्थिक सहायता के सम्बंध में अध्ययन करना।
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में शैक्षिक विकास सम्बंधी सुविधाओं का अध्ययन करना।
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में सामाजिक परिवेश सम्बंधी सुविधाओं का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

- कमजोर वर्ग के छात्रावास में, प्रवेश सम्बंधी मानक क्या हैं ?
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में, भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता किस प्रकार की है ?
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में, आर्थिक सहायता हेतु छात्रावास की क्या भूमिका है ?
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में, शैक्षिक विकास सम्बंधी संसाधनों की उपलब्धता कैसी है ?
- कमजोर वर्ग के छात्रावास में, सामाजिक विकास सम्बंधी संसाधनों की उपलब्धता कैसी है ?

न्यादर्श

- अध्ययन हेतु इकाई के रुप में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास को लिया गया है।
- यह छात्रावास अनु0जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समाज कल्याण विभाग, जनपद अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा–पिथौरागढ़ मार्ग पर एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोड़ा से 08 किमी0 दूर फलसीमा बैण्ड एवं उदयशंकर नाट्य अकादमी के मध्य स्थित है।
- छात्रावास में रह रहे 48 छात्रों में से उक्त समय उपस्थित समस्त 33 छात्रों को न्यादर्श के रुप में सम्मलित किया गया।

शोध विधि

- शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि के माध्यम से ऑकड़ों का संकलन किया।

शोध उपकरण

- उपकरण के रुप में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग ऑकड़ो के संकलन हेतु किया गया।
- शोधार्थी ने साक्षात्कार के माध्यम से छात्रों के अन्य विकासात्मक पहलुओं पर विचार एवं सुझाव प्राप्त किए।

प्रदत्तों का विश्लेषण एंव व्याख्या

सारणी संख्या – 1
प्रवेश सम्बंधी मानकों का अध्ययन

क्र0सं0	प्रवेश सम्बंधी मानक	सहमत प्रतिशत
1	जाति विशेष के आने वाले सभी गरीब छात्रों को यहां प्रवेश मिल जाता है।	09.09
2	धनवान जाति विशेष के छात्रों को यहां प्रवेश मिल जाता है।	06.07
3	यहां निर्धन, दूसरी जाति वर्ग के छात्र को प्रवेश मिल जाता है।	06.37
4	प्रवेश हेतु छात्रों की काफी भीड़ रहती है।	81.51
5	आप अपनी उम्र के आधार पर उचित कक्षा में पढ़ रहे है।	87.87

उपरोक्त सारणी के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यहां केवल अनुसूचित जाति वर्ग के निर्धन छात्रों को ही प्रवेश मिलता है तथा जाति विशेष के बहुत से छात्र प्रवेश पाने से वंचित रह जाते है अधिकांश छात्र उचित शैक्षिक आयु वर्ग में ही यहां प्रवेश प्राप्त करते है।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 83-87 , ISSN 2348 – 3318

भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता का अध्ययन
सारणी संख्या – 2

क्र0सं0	भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता	सहमत प्रतिशत
1	बिजली की उचित व्यवस्था है।	90.90
2	मनोरंजन हेतु टी0वी0 की व्यवस्था है।	51.51
3	खाने की उचित व्यवस्था है।	30.30
4	पानी की व्यवस्था है।	06.06
5	जिम की व्यवस्था है।	06.06
6	खेल की व्यवस्था है।	00.00
7	कॉलेज तक आने जाने के लिए उचित परिवहन व्यवस्था है।	12.12
8	शौचालय की उचित व्यवस्था है।	80.12
9	प्राथमिक मेडिकल सुविधा छात्रावास में उपलब्ध है।	16.06

उपरोक्त सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट है कि छात्रावास में बिजली, शौचालय व मनोरंजन की उचित व्यवस्था है किन्तु खाना, पानी, जिम, खेल, प्राथमिक उपचार एवं विद्यालय तक आने जाने हेतु परिवहन व्यवस्था, की उचित उपलब्धता नहीं है।

शैक्षिक विकास संबंधी सुविधाओं का अध्ययन
सारणी संख्या – 3

क्र0सं0	शैक्षिक विकास संबंधी सुविधाओंकी उपलब्धता	सहमत प्रतिशत
1	छात्रावास में स्वाध्ययन का अच्छा माहौल है।	90.90
2	शैक्षिक माहौल के लिए कड़ा अनुशासन है।	66.66
3	छात्र असभ्यता व शोरगुल करते है।	45.46
4	सामूहिक अध्ययन हेतु विशेष कक्ष की व्यवस्था है।	15.15
5	पढ़ाई शोर के कारण बाधित होती है।	12.13
6	छात्रावास में पुस्तकालय व्यवस्था है।	1.06
7	शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श देने हेतु यहां व्यवस्थाा की गयी है।	00.00

तृतीय शोध प्रश्न के उत्तर में शोधार्थी ने उपरोक्त आंकड़ों एवं स्व अवलोकन से पाया कि छात्रों द्वारा शैक्षिक वातावरण स्वानुशासन द्वारा बनाया गया है, लेकिन अन्य शैक्षिक विकास सम्बंधी कोई भी संसाधन इस छात्रावास उपलब्ध नहीं है और न ही एक बार प्रवेशोपरान्त छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में अध्ययन
सारणी संख्या – 4

क्र0सं0	आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में तथ्य	सहमत प्रतिशत
1	छात्रावास में रहने की फीस ली जाती है।	00.00
2	बिजली का शुल्क लिया जाता है।	00.00
3	खाने का शुल्क लिया जाता है।	00.00
4	विद्यालय जाने का परिवहन शुल्क दिया जाता है।	00.00
5	अन्य नगद सरकारी वजीफा प्राप्त होता है।	88.08

उपरोक्त आंकड़े दर्शा रहे हैं कि छात्रों को छात्रावास के अन्दर निःशुल्क साधन उपलब्ध है अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है एवं नगद धनराशि भी समाज कल्याण विभाग में सहायतार्थ प्राप्त हो रही है, फिर भी छात्र परिवहन खर्च न मिलने से अंसतुष्ट हैं।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 83-87 , ISSN 2348 – 3318

सामाजिक परिवेश संबंधी अध्ययन
सारणी संख्या – 5

क्र0सं0	सामाजिक परिवेश संबंधी तथ्य	सहमत प्रतिशत
1	छात्रावास में सामूहिक उत्सव मनाये जाते है।	78.78
2	अन्य जाति , धर्मों के मित्र आपसे मिलने यहां आते हैं।	60.60
3	अनुसूचित जाति विशेष का छात्रावास, अन्य जाति, धर्मो से अलगाव को बढाता है।	63.63
4	अन्य जाति धर्मों के गरीब छात्रों के यहां रहने पर आपको आपत्ति होगी।	66.66
5	प्रत्येक छात्रावास में सभी जाति धर्मों के गरीब छात्रों को रहने की अनुमति दी जाए।	36.37

उपरोक्त आंकड़ें दर्शाते हैं कि छात्रावास में आन्तरिक रूप से सामाजिक परिवेश बहुत ही सुन्दर है, लेकिन यहां के छात्र, अन्य जाति–धर्मों के गरीब छात्रों को अपने साथ यहां रखना नहीं चाहते और यह भी स्वीकार करते है, कि अलग जाति विशेष का छात्रावास, अन्य जाति धर्मों से अलगाव को बढ़ाता है।

निष्कर्ष :–

1. छात्रावास में केवल गरीब अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को प्रवेश प्राप्त होता है।
2. बिजली, शौचालय एवं मनोरंजन हेतु टी0वी0 की भैतिक संसाधन के रूप में उपलब्धता है लेकिन भोजन, पानी, जिम, परिवहन, प्राथमिक मेडिकल सुविधा आदि की उचित व्यवस्था नहीं है।
3. शैक्षिक विकास सम्बंधी, स्व अनुशासन द्वारा छात्रों ने वातावरण बनाया हुआ है, लेकिन संबंधित शैक्षिक संसाधन किसी प्रकार के यहां उपलब्ध नहीं है।
4. छात्रावास में अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों की आर्थिक मदद होती है, भोजन, आवास, बिजली, पानी आदि सुविधाओं हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है साथ ही छात्र निरन्तर परिवहन सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं।
5. छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास, समाज को उनके लिए छोटा और अन्य जाति धर्मों से अलग करने वाला साबित हो रहा है।

सुझाव

1. प्रतिवर्श सभी छात्रों को पुनः प्रवेश हेतु फार्म भराये जाए और विद्यालयी शैक्षिक उपलब्धि प्रांप्तांकों को आधार बनाया जाए। जिस कारण पुनः प्रवेश पाने हेतु सभी छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उनका शैक्षिक विकास होगा।
2. भौतिक सुविधाओं की उचित व्यवस्था की जाए एवं से अधिकारियों द्वारा यहां का औचक निरीक्षण कर समस्याओं का समाधान किया जाए। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
3. छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा, नगद धनराशि न देकर, किताबें, मासिक–परिवहन विद्यालयी पास, कपड़े, बिस्तर आदि निःशुल्क प्रदान किये जाएं जिससे छात्र नगद धनराशि का गलत प्रयोग न कर सके।
4. प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति अवश्य की जाए एवं वार्डन का विशेष प्रशिक्षित होना अनिवार्य किया जाए। पुस्तकालय आदि की सम्भव व्यवस्था की जाए।
5. समय–समय पर वार्डन की निगरानी में छात्रों से सामाजिक एकता विकास संबंधी कार्य, (जैसे– मेला, मन्दिर, समारोह आदि) विभिन्न सामाजिक स्थलों पर कराये जाने चाहिए।
6. छात्रावासों में प्रवेश गरीबी (आर्थिक स्थिति कमजोर) के आधार पर सुनिश्चित किए जाए, जाति विशेष के आधार पर नहीं, क्योंकि इससे अन्य जाति–धर्मों के अति गरीब छात्रों में जाति विशेष के प्रति कटुता जन्म ले लेती है।

शोध उपयोगिता

1. प्राप्त निष्कर्षों को भविष्य में छात्रावासों हेतु बनायी जाने वाली नीतियों में प्रयोग किया जा सकता है और तत्काल परिस्थित में सुधार हेतु संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया जा सकता है।
2. शोध अध्ययन का व्यवहारिक प्रयोग, छात्रावासों की भौतिक सुविधाओं को सुधारने हेतु किया जा सकता है।
3. निर्देशन–परामर्श एवं चिकित्सा जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु शासन–प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 2, Year : 4, Jul.-Aug-Sep. (2017), Pages : 83-87 , ISSN 2348 – 3318

संदर्भ ग्रन्थ :

- अग्रवाल, जे.सी. (1993) : लैण्डमार्क्स इन दा हिस्ट्री ऑफ माडर्न इण्डियन एजूकेशन, वाणी वुक्स, नई दिल्ली
- कबीर हुमायूँ (1956) : स्वतंत्र भारत में शिक्षा , राज्यपाल एण्ड सन्स, दिल्ली
- गुप्ता, एस.पी. तथा अलका गुप्ता (2012) : भारतीय शिक्षा का तानाबाना, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन
- चौबे, सरसू प्रसाद (1975) : भारत में शिक्षा का विकास, इलाहाबाद , सेन्ट्रल बुक डिपो
- गुप्ता, एस.पी. तथा अलका गुप्ता (2015) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन
- लाल, रमन बिहारी तथा डा0 कृष्ण कान्त (2015) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, मेरठ, आर लाल बुक डिपो
- पाठक, पी.डी (2013) : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें : आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर
- भटनागर सुरेश तथा संजय कुमार (2005) : भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास : मेरठ , आर लाल बुक डिपो

प्रतिवेदन व दस्तावेज

- दाँ कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया, 1950
- नेशनल पॉलिसी ऑफ एजूकेशन, 1968
- नेशनल पॉलिसी ऑफ एजूकेशन, 1986